

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-11/2018- 134 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक- 11/01/19

जिला पदाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक-01 दिनांक-01.01.2019 के आलोक में श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, कटिहार को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर आयुक्त, कटिहार नगर निगम, कटिहार का प्रभार दिया जाता है।

2. जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-1941 दिनांक-29.12.18 के आलोक में श्री वीरेन्द्र प्रसाद, अपर समाहर्ता, दरभंगा को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


ह०/-
(भरत झा)
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-11/2018 134 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 11/01/19

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, कटिहार नगर निगम, कटिहार/दरभंगा नगर निगम, दरभंगा/श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, कटिहार/श्री वीरेन्द्र प्रसाद, अपर समाहर्ता, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-विशेष सचिव।